



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23072026-274730
CG-MH-E-23072026-274730

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2026/आषाढ 30, 1948

No. 589]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2026/ASHADHA 30, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 21 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 648(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के जिला कच्छ, भुज-नलिया आमान परिवर्तन परियोजना (101.25 कि.मी.) और नयी लाइन से वायोर तक विस्तार (24.65 कि.मी.) तक विस्तार के संबंध में आरओबी-62 को भूमि अधिग्रहण परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, प्रांत अधिकारी, नखत्राणा, जिला कच्छ, को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टीशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के जिला कच्छ भुज, भुज-नलिया आमान परिवर्तन परियोजना (101.25 कि.मी.) और नयी लाइन से वायोर तक विस्तार (24.65 कि.मी.) तक विस्तार के संबंध में आरओबी-62 को भूमि अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम: कच्छ.

क्र. स.	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	ज़मीन का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	नखत्राणा	मंजल	313	निजी	खेती	821
2	नखत्राणा	मंगवाना	163/1	निजी	खेती	965
3	नखत्राणा	मंगवाना	174	निजी	खेती	1079
4	नखत्राणा	मंगवाना	354/P1	निजी	खेती	5078
5	नखत्राणा	मंगवाना	164	निजी	खेती	174
6	नखत्राणा	मंगवाना	173	सरकार	ठूबवेल	133
7	नखत्राणा	मंगवाना	358/1	सरकार	बंजर	5891
				कुल ज़मीन (वर्ग मीटर में)		14141

[फा. सं. E. -642610 -03]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक – II

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st July, 2026

G.S.R. 648(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, **ROB-62, in connection with Bhuj – Naliya Gauge Conversion (101.25 Km) extension up to Vayor New Line (24.65 KM)** in District Kutch in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer- Nakhatrana, District Kutch, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: ROB-62, in connection with Bhuj – Naliya Gauge Conversion (101.25 KM) extension up to Vayor New Line (24.65 KM) in District Kutch in the state of Gujarat.

Name of District: Kutch

Sr No	Name of Taluka	Name Village	Survey No	Type of Land	Nature of Land	Area of land (Are in Sqm)
1	Nakhatrana	Manjal	313	Private	Agriculture	821
2	Nakhatrana	Mangvana	163/1	Private	Agriculture	965
3	Nakhatrana	Mangvana	174	Private	Agriculture	1079
4	Nakhatrana	Mangvana	354/P1	Private	Agriculture	5078
5	Nakhatrana	Mangvana	164	Private	Agriculture	174
6	Nakhatrana	Mangvana	173	Government	Tubewell	133
7	Nakhatrana	Mangvana	358/1	Government	Waste land	5891
Total land in SQM						14141

[F. No. E. -642610 -03]

S. R. PRASAD, Chief Project Manager –II